न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारी: **ओमप्रकाश सहारण RAS**

न्याय निर्णयन आवेदन संख्या:–21/23 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के. (1491)

राजस्थान सरकार जरिये श्री कंवरपाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर प्रार्थी

बनाम

1. श्री नंदराम पुत्र धर्मचंद सिंधी खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स देव ट्रैडिंग कंपनी गणेश प्लाजा जैतसर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)51&52

निर्णय

दिनांक:–03.05.2024

यह इस्तगासा **लक्ष्मीकांत गुप्ता** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की धारा 51एफ, एस, एस, ए 2006 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है:– यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **लक्ष्मीकांत गुप्ता** दिनांक **29.03.2022** को समय **12:30** बजे पर निरीक्षणार्थ **मैसर्स देव ट्रैडिंग कंपनी गणेश प्लाजा जैतसर** का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **श्री नंदराम पुत्र धर्मचंद सिंधी खाद्यकारोबारकर्ता (विक्रेता व मालिक) मैसर्स देव ट्रैडिंग कंपनी गणेश प्लाजा जैतसर** संस्थान पर मालिक **श्री नंदराम पुत्र धर्मचंद सिंधी खाद्यकारोबारकर्ता (विक्रेता व मालिक) मैसर्स देव ट्रैडिंग कंपनी गणेश प्लाजा जैतसर** कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर नही दिखाया। केवल मौखिक रूप से आवेदन करना बताया।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ **दुकान सरसों का तेल (एमआरसी दुर्गा)** कुल **लगभग 40 पैक बोतलें** ग्राम खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय हेतु रखा था। इसी **दुकान सरसों का तेल (एमआरसी दुर्गा)** शुद्धता की जॉच हेतु विक्रेता एंव मालिक को मौके पर फार्म नं0 5 ए भरकर प्रति नमुना सूचनार्थ दी गई गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ती रसीद ली जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **सरसो तेल (एम आर सी दुर्गा) 500–500 एमएल की 4 गूल पैक बोतलों** पर लेवल तैयार चिपकाए और लेवलों पर डीओ श्रीगंगानगर कोड एव क्रमांक **के 1491** दर्ज किया विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **सरसो तेल (एम आर सी दुर्गा))** का नगद **भुगतान 360** रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रता व गवाहान के हस्ताक्षर हैं और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।, जिसको चार सुखी प्लास्टिक बोतलो में बराबर बराबर मात्र में भरकर प्रत्येक बोतल को एयर टाईट ढक्कन से बंद कर प्रत्येक बोतल पर लेवल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेवल चिपकाए एवं लेवलो पर डिओ कोड एवं सिरीयल नम्बर **के–1491 चार्ज** किया। और जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डीओ गंगानगर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप **के–1491** नियमानुसार चारो नमुनो पर निचे से उपर तक गौंद से चिपकाकर प्रत्येक नमुना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बॉधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सिल से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमुना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोने पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वय ने खाद्य पदार्थ का विवरण **के– 1491** सरसो तेल (एम आर सी दुर्गा) लिखकर हस्ताक्षर किये। चारो नमुनो भागो को अपने जब्ते में लिया। मौके पर मौके पर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढकर सुनाकर व समझाकर करवायी गयी जो उन्होंने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये। ... फर्द पर हस्ताक्षर किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.05.17 14:39:16 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सिल लगाई जिससे नमुना सिल किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की आउटर कवर में सिल बंद कर सिल मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी **कंवरपाल** श्रीगंगानगर के द्वारा **अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर** को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सिल मोहर कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सिल बंद नमूना भाग में फॉर्म नं0 6 की दो प्रतिया के आउटर कवर में सिल बंद कर तथा नमुने का चौथा भाग डीओ मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को मेरे स्वयं के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को **डी,ओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक FSS/Act/2022/382-83** दिनांक 28.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राजस्थान बीकानेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक **L.S.558/Act/2022/558 दिनांक** 18.04.2022 अनुसार उक्त नमुना **सब स्टैण्डर्ड फूड एंड मिस ब्रांस फूड** पाया गया। खाद्य विश्लेषक बीकानेर की जॉच रिर्पाट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभीहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र क्रमांक / एफएसएसए / 2022 / 114–15 / 11.03.2022 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। अप्रार्थी द्वारा **सरसो तेल (एम आर सी दुर्गा)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

यह है कि श्रीमान् आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण राजस्थान जयपुर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक सामान्य / 2023 / 17694–695 दिनांक 18.07. 2023 द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमूनों के प्रकरणों की अभियोजना समय सीमा बढ़ाने एवं मान्य न्यायालय में केस लगाने की स्वीकृति प्रदान हेतु आवेदन किया। श्रीमान् आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण राजस्थान जयपुर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक आयुक्ता / खा.सु.ओ.नि. / स.सी. / 2023 3048 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है।

गैरसायल नरेन्द्र चुघ स्वयं उपस्थित हुआ व अपना जवाब पेश किया एवं तथ्य इस प्रकार है परिवाद पत्र की मद संख्या 1 रिकॉर्ड का तथ्य है स्वीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 2 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 3 रिकॉर्ड का तथ्य है। परिवाद पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 5 अस्वीकार है। परिवाद पत्र मद की संख्या 6 अस्वेकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 7 अज्ञानता के कारण अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 9 ता 11 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 12 ता 14 अज्ञानता के कारण अस्वीकार है। को अस्वीकार किया जवाब परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र की कार्यवाही निरस्त फरवाई जावे तथा पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला **बीकानेर दिनांक 18.04.2022 सरसो तेल (एम आर सी दुर्गा)** नमूना के **के नं. 1491 सब स्टैण्डर्ड फूड एंड मिस ब्रांड फूड** पाया गया है। अतः एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)ii51 उल्लंघन करना पाया गया है अतः एफएसएसए 2006 की धारा 26(2) ii51 के अंतर्गत प्रावधानों के मद्देनजर अप्रार्थी **फर्म मैसर्स देव ट्रैंडिंग कंपनी गणेश प्लाजा जैतसर पांच लाख रूपए तक शास्ति** लगाए जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किए गए **सरसो तेल (एम आर सी दुर्गा)** एवं रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक के मध्यक [illegible] सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित लोकहित में रखकर अप्रार्थी फर्म **मैसर्स देव ट्रैंडिंग कंपनी** [illegible] प्लाजा को रूपए 25000/- का आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया [illegible] पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज [illegible] को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.05.17 14:39:16 IST
Reason: Self Attested

(ओमप्रकाश सहारण)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़